केवल राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री डी० एल० कोठारी आर०ए०एस० अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा उद्घोषित)

प्रकरण संख्या 15/2015/अपील/एल०आर०एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 11.2.2015
किस्म अपील धारा 75 राज० भू राजस्व अधि० 1956

शहजाद अली पुत्र इमाम अली उर्फ अशायत अली जाति मुसलमान निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित श्री विजय सिंघल अभिभाषक अपीलांट
श्री बद्रीलाल राठोर तह० (भू अभि०) कलक्ट्रेट, कोटा

:: निर्णय ::

दिनांक 30.9.2015

अपीलांट ने यह अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 293/2013 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम बउनवान शहजाद अली बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी मे पारित निर्णय दिनांक 11.4.2014 (संक्षिप्त मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील राज० भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई है।..

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय मे धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खाते मे डीमसी के ख० नं० 75/2 रकबा 2 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित दर्ज भूमि को बदोबस्त विभाग द्वारा नवीन ख० नं० 156 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख० नं० 168 रकबा 0.12 है० बनाये जाकर ख० नं० 168 को ख० नं० 156 से अलग कर एनएच-12 से ... मे दूरी पर अंकित कर दिया अतः पुराने ख० नं० 75/2 रकबा 2 बीघा के राजस्व रेकार्ड के मुताबिक ... किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे संयुक्त रूप । राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के पश्चिम मे अंकित किये जाने की दुरूस्तगी की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 तथा धारा 125 के प्रावधानो के अनुसार उक्त वांछित अनुतोष दिया जाना उचित नही होने तथा वांछित अनुतोष हेतु प्रार्थी हितबद्ध पक्षकारो को पक्षकार बनाते हुये राज० काश्त० अधि० के अन्तर्गत घोषणात्मक/इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होने संबंधी जेरअपील निर्णय दिनांक 11.4.2014 पारित किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रा० पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम/शपथ पत्र के इस न्यायालय मे पेश कर अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय विचारण न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।..

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरात बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई।..

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये बहस मे बताया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत त्रुटिपूर्ण अंकन किया जाना मानते हुये भी प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे आगे बताया कि ख० नं० 156 व 168 दो अलग 2 स्थानो पर अंकित कर दिये गये जबकि साबिक ख० नं० 75/2 रकबा 2 बीघा अनुसार किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हाल नक्शे मे किसी प्रकार

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

Scanned by CamScanner

तथा किस दिशा मे तरमीम किया जाना है कोई तजवीज नही सुझाई जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस मे यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो पर सहमति जाहिर की थी लेकिन इसके बावजूद भी समीपवर्ती ख0 नं0 के खातेदारान को पक्षकार नही बनाये जाने तथा ख0 नं0 168 पर मौके पर कौन काबिज है इसका उल्लेख नही किये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र खातेदारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी की गैर मौजूदगी मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो विधि सम्मत नही है। अन्त मे जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य मानते हुये विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। अपने कथन की पुष्टि मे आरआरडी अक्टूबर 2002 पेज 601 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किया।..

4. रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र मे वर्णित सहायता प्रदान नही की जा सकती बल्कि सक्षम न्यायालय मे प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुये राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चाराजोई करनी चाहिये। अन्त मे अपील खारिज करने का अनुरोध किया।..

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के उपरांत प्रार्थी के खाते मे दर्ज खसरा नम्बरान का नक्शा त्रुटिपूर्ण बनाया है। परन्तु जिन खातेदारान के खसरा नम्बर का नक्शा परिवर्तित होगा वह प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार नही बनाये जाने से उनके विरूद्ध कोई निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है तथा किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके पक्ष मे या विपक्ष मे निर्णय पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अभिमत स्पष्ट है, अपीलांट के खाते मे दर्ज खसरा नम्बर का नक्शा बनाये जाने मे की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु जिन खातेदारान के खसरा नम्बर का नक्शा परिवर्तित होगा वह प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार होंगे प्रकरण मे प्राकट्य तथ्य था। यद्यपि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे उनको पक्षकार नही बनाया गया था किन्तु स्वयं न्यायालय भी तहसील से प्राप्त रिपोर्ट/पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के आधार पर हितबद्ध खातेदारान को प्रकरण मे पक्षकार बना कर सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे निहित प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे निर्णय पारित किया जाना था अथवा प्रार्थी को प्रस्तुत कार्यवाही मे हितबद्ध खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान कर सभी हितबद्ध पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना न्यायोचित था। यद्यपि अपीलाधीन निर्णय मे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये इस अभिमत से सहमत है कि "राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 तथा पूर्व धारा 125 के प्रावधानो अनुसार प्रार्थी उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित नही है"। क्योंकि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे विहित रिति से लिपिकीय त्रुटि को हितबद्ध पक्षकार की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। नक्शे मे तरमीम राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत किये जाने का प्रावधान निहित है। अतः विचारण न्यायालय को प्रकरण मे हितबद्ध खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे निहित उक्त प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यो को नजरअदांज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.4.2014 अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही मे हितबद्ध खातेदारान को विधिवत पक्षकार बनाया जाकर तथा सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।..

निर्णय आज दिनांक 30.9.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।..

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

(बी0 एल0 कोठारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा